

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु कृषक पंजीकरण फार्म, हिमाचल प्रदेश

Farmer Registration Form – Procurement (MSP), Himachal Pradesh

किसान पंजीकरण संख्या /Farmer ID

(For Office Use Only)

F

1. किसान का व्यक्तिगत विवरण

मोबाइल नं०/ Mobile *

आधार नं०/ Aadhar *

*केवल अपना मोबाइल नंबर दें। किसान पंजीकरण मोबाइल नंबर पर ही आधारित है। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है।

किसान का नाम(अंग्रेजी)
Name of Farmer (in English)

किसान का नाम (हिंदी)
Name of Farmer (in Hindi)

पिता/पति का नाम (अंग्रेजी)
Father's/Husband Name (English)

दादा का नाम (अंग्रेजी)
Grand Father's Name (English)

लिंग (Gender)

जन्म तिथि / DOB

स्त्री/Female पुरुष/Male अन्य/Other

किसान की श्रेणी SC ST OBC General

पहचान पत्र: राशन-कार्ड वोटर पैन किसान क्रेडिट कार्ड

संख्या:

2. किसान का व्यक्तिगत विवरण

पूरा पता /Complete Address

ग्राम /Village Name

तहसील /Tehsil

किसान का जिला / District

पिनकोड / Pincode *

3. किसान के बैंक खाते का विवरण

बैंक का नाम/Bank Name

शाखा का नाम/ Branch Name

बैंक कोड / IFSC Code

बैंक खाता नं०/ Account No

खाता आधार से लिंक है - हाँ ना

4. किसान की भूमि का विवरण (कृपया प्रत्येक भूमि का विवरण अलग पंक्ति में भरे/ Farmer Land Details (Please fill all land details separately)

कृपया सबसे पहले अपने निवासीय गाँव की भूमि का ब्यौरा दें, ताकि आपका पटवारी इसे सुगमता से सत्यापित कर सके।

क्र.	राजस्व गांव/ तहसील/ जिला	जमाबन्दी में मालिक का नाम (पिता/पति व दादा के नाम सहित)	खेवट न. (1, 2, 10..) (Comma separated)	खसरा नं० (1, 21, 53....) (Comma separated)	खेती योग्य रकबा स्थानीय रकबा ईकाई व है-आ-से में			मालिक की श्रेणी स्वयं/ बंटाई/ किराये पर/ साँझा खेती/ अनुबंध
					कुल	किसान के हिस्से का रकबा	इस मौसम में काशत किया रकबा	
1								

4. किसान की अन्य भूमि का विवरण (कृपया प्रत्येक भूमि का विवरण अलग पंक्ति में भरें/ Farmer's other Land Details (Please fill separately))

क्र.	राजस्व गांव/ तहसील/ जिला	जमाबन्दी में मालिक का नाम (पिता/पति व दादा के नाम सहित)	खेवट न. (1, 2, 10..) (Comma separated)	खसरा न० (1, 21, 53....) (Comma separated)	खेती योग्य रकबा स्थानीय रकबा ईकाई व है-आ-से में			मालिक की श्रेणी स्वयं/ बंटाई/ किराये पर/ साँझा खेती/ अनुबंध
					कुल	किसान के हिस्से का रकबा	इस मौसम में काशत किया रकबा	
2								
3								
4								

नोट: कृपया पंजीकरण के साथ, निम्नलिखित प्रपत्र स्व प्रमाणित प्रति संगलन कर फसल विक्रय के समय खरीद केंद्र पर अवश्य ले जाएं/

Note: Please carry the following documents with you while taking your produce for sale to the Procurement Centre

खाता नंबर अंकित जमाबंदी, आधार / फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छायाप्रति /

Copy of Jamabandi with Khata(Khewat) number, Aadhaar Card/ Photo ID Card, Copy of Bank Pass book showing account details of holder

दिनांक:

(किसान के हस्ताक्षर)

सत्यापन विवरण/ Verification Details:

- कृषि विभाग द्वारा सत्यापन की स्थिति/ Verification by Agriculture: दिनांक: _____ पदनाम _____
- राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन की स्थिति/ Verification by Revenue: दिनांक: _____ पदनाम _____
- स्वीकृत/अस्वीकृत, कारण सहित / Approved/ Not-approved with Reason _____

निर्देश/ Instructions:

- यह फॉर्म <https://hpappp.nic.in> पर ऑनलाइन भरना होगा।
This form must be filled online at <https://hpappp.nic.in>
- किसान का मोबाइल नंबर लॉगिन आईडी के रूप में उपयोग किया जाना है। इस मोबाइल नंबर पर सत्यापन के लिए हर बार एक ओटीपी भेजा जाएगा।
Mobile Number of Farmer is to be used as Login Id. An OTP will be sent every time for verification on this Mobile Number
- बैंक विवरण सावधानी से भरे जाने चाहिए क्योंकि राज्य सरकार/एफसीआई इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री के लिए धन हस्तांतरित करेगा।
Bank details must be filled with care as State Govt/FCI will transfer amount of sale electronically
- फार्म भरने के बाद, किसान द्वारा रिकॉर्ड के लिए एक प्रिंट-आउट लिया जाना चाहिए।
After filling the form, a print-out should be taken by the Farmer for record purpose
- एक बार किसान पंजीकरण स्वीकृत हो जाने के बाद, किसान ऑनलाइन माध्यम से मंडी/विक्रय केंद्र में एक स्लॉट (तारीख) चुन सकते हैं। स्वीकृत किसानों के लिए यह बटन एक विशेष तिथि के बाद सक्रिय हो जाएगा।
Once the farmer registration is approved, the Farmer will be able to book a slot (date) in the Mandi(s) setup by Department/FCI for Sale of grain. This button will become active after a particular date for approved farmers
- विभाग/एफसीआई के पास दी गई तारीख को अतिरिक्त स्लॉट बदलने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।
The Department/FCI reserves the right to change or add additional slots on a given date.
- अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कृषि अधिकारी से संपर्क करें।
Please contact your Agriculture Officer for further details